प्रवासी राजस्थानी विभाग देश-विदेश के राजस्थानियों को राज्य की प्रगति में भागीदार बनायेगा

अब तक 8738 प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थानी दिवस आयोजन में पंजीकरण कराया

जयपुर, 8 दिसम्बर। बीते माह 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग' के गठन से जुड़े फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए, उन्हें उनके ज्ञान, कौशल, निवेश और नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रगति में भागीदार बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। प्रवासियों से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने, प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का आयोजन और प्रवासी राजस्थानियों का डेटाबेस तैयार करने का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा।

दुनिया भर में बसे नॉन रैज़िडैंट राजस्थानी (एन.आर.आर.) के बीच राजस्थान के तीज-त्योहार, कला, विरासत और सांस्कृतिक परंपराएं जीवंत बनी रहें, इसके लिए भी राज्य सरकार पहल कर रही है। राजस्थान फाउंडेशन अपने चैप्टर्स के माध्यम से देश-विदेश में तीज, गणगौर, दिवाली, होली, मकर संक्रान्ति सहित, विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक त्योहारों का ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन करेगा। इन कार्यक्रमों में एनआरआर एसोसिएशन्स की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **राजस्थान फाउंडेशन अपने चैप्टर्स के माध्यम से देश-विदेश में तीज, गणगौर, दिवाली, होली, मकर सक्रांति आदि धार्मिक व सांस्कृतिक त्योहारों का ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन करेगा, जिनमें एन.आर.आर. एसोसिएशन भी भागीदार होंगे।**

इसी क्रम में, प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन भी आगामी 10 दिसम्बर को किया जा रहा है। देश-विदेश से अब तक 8,738 प्रवासी राजस्थानियों ने आयोजन में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। विज्ञान, कला, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, साहित्य और सामाजिक सेवा सहित, विभिन्न श्रेणियों में प्रवासी राजस्थानियों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवाड्र्स समारोह का आयोजन किया जाएगा।

'सरकार ने वंदे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेहरू और सुभाष बोस के पत्रों से प्रासंगिक अंश पढ़कर सुनाए, और बाद में नेहरू और रवीन्द्रनाथ टैगोर के बीच हुये पत्राचार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत चुनने की प्रक्रिया को समझने के लिए इन घटनाओं की क्रोनोलॉजी समझना ज़रूरी है।"

प्रियंका गांधी ने कहा, "मैं गुरुदेव (रवीन्द्र नाथ टैगोर) के पत्र का एक अंश साझा करती हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि जिन दो पदों का हमेशा गायन होता रहा है, वे इतने अर्थपूर्ण हैं कि उन्हें बाकी कविता से अलग करने में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी यही दो पद गाए जाते थे, और उन हज़ारों शहीदों का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने अपनी जान न्योछावर की। इसलिए इन्हें वैसे ही गाया जाना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जो अन्य पद जोड़े गए थे, उन्हें सांप्रदायिक रूप में देखा जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका उपयोग उचित नहीं होता।

प्रियंका ने आगे बताया कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित करके वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था।

गोवा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बजे 6ई 1073 फ्लाइट लेकर फुकेट(थाईलैंड) निकल गए थे। गोवा पुलिस ने रेस्टोरेंट बार मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के दिल्ली के घर टीम भेजी लेकिन वो घर पर नहीं मिले। इनके घर पर गोवा पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है, गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई थी, जिससे दोनों देश छोड़कर न भाग सकें लेकिन दोनों पहले ही फरार हो चुके हैं। गोवा पुलिस ने सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है।

मुर्शिदाबाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मस्जिद स्मारक 300 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एक अस्पताल, गेस्ट हाउस और एक मीटिंग हॉल भी बनेगा। इस घोषणा पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ समेत राजनीतिक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

इस बीच, मुश्ताक मलिक अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने कहा, "कोई भी बाबर के नाम को लेकर चिंता न करे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए कोई राजस्व बाबर की तरफ से आया था। यह संभव है कि मूल बाबरी मस्जिद बाबर नाम के किसी स्थानीय व्यक्ति के नाम पर रखी गई हो। भाजपा और आरएसएस बाबर के नाम को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। बाबर का शासन काल बहुत छोटा था।"

ऐतिहासिक ग्रंथों का हवाला देते हुए मलिक ने कहा कि तुलसीदास की रामायण बाबरी मस्जिद के निर्माण के 60 साल बाद लिखी गई थी। "लेकिन उस रामायण में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उसी स्थान पर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।"

इंडिगो ही नहीं सभी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बहुत कम मुनाफ़े, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर ऊँचे टैक्स, पर्याप्त हवाईअड्डा-क्षमता की कमी और अनिश्चित नियमों की वजह से। ज़रा-सी भी संचालन संबंधी दिक्कत पूरे देश में अव्यवस्था फैला सकती है। स्थिति इतनी खिंची हुई है कि किसी एक बड़ी एयरलाइन की आंतरिक गलती पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देती है, हज़ारों यात्रियों को परेशानी होती है और पूरा नेटवर्क अस्त-व्यस्त हो जाता है।

इस अस्थिरता को लगातार बनी रहने वाली मैनपावर की कमी और बढ़ा देती है। पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ पर अक्सर काम का बोझ ज्यादा होता है और कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र देने की दर भी ऊँची बनी हुई है, क्योंकि भारतीय एयरलाइंस वैश्विक स्तर की तनख़्वाहें देने में सक्षम नहीं हैं।

प्रशिक्षण की व्यवस्था भी तेज़ी से बढ़ते बेड़े के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है, जिससे कमजोरियाँ पैदा होती हैं और ज़रा-सी स्टाफिंग या शेड्यूलिंग की दिक्कत आते ही सामने आ जाती हैं। इंडिगो की घटना ने यह साफ कर दिया कि क्षमता उपयोग को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास कभी-कभी पूरे सिस्टम की मजबूती को कमज़ोर कर देते हैं।

- **मानें न मानें, भारत की सबको हवाई यात्रा उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षा काफी कमज़ोर नींव पर आधारित है।**

नियामक दखल के सुधार की भी जरूरत है। डी.जी.सी.ए. ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी निगरानी क्षमता को मज़बूत किया है, लेकिन कार्रवाई अक्सर पहले से रोकने के बजाय, घटना के बाद ही होती है।

भारत के "एविएशन बूम" को ऐसे नियामक की ज़रूरत है, जिसके पास बेहतर विश्लेषण की क्षमता हो, जोखिम का पहले से आकलन करने वाले आधुनिक उपकरण हों और तेज़ी से निर्णय लेने की व्यवस्था हो। लेकिन मौजूदा स्थिति में एयरलाइनें और नीति-निर्माता अक्सर जनता के सामने समस्या आने के बाद ही आग बुझाने में लगते हैं, बजाय इसके कि पहले से सिस्टम की कमियाँ दूर की जाएँ।

ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) भी एक बड़ी रुकावट है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े हवाईअड्डे पहले से ही लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं, और दूसरे स्तर के हवाईअड्डों पर भी बढ़ते यात्री भार को संभालने में मुश्किल आ रही है। भीड़भाड़, सीमित एयरसाइड क्षमता, जैसे रनवे, टैक्सीवे, पार्किंग स्पॉट, एप्रन, एरोब्रिज वाले गेट, ए.टी.सी. क्षमता और ग्राउंड हैंडलिंग संसाधन आदि की वजह से ज़रा-सा संचालन संबंधी झटका भी देशभर में अव्यवस्था फैला सकता है।

अगर भारत वास्तव में इंडिगो जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना चाहता है, तो सुधार केवल किसी एक एयरलाइन को दंडित करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए। सुधार पूरे सिस्टम को मजबूत करने वाले हों, जैसे ए.टी.एफ. टैक्स को तर्कसंगत बनाना, नियामक क्षमता को मजबूत करना, प्रशिक्षण ढांचे को विस्तार देना, हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण करना और एयरलाइंस की तैयारी के उच्च बुनियादी मानकों को लागू करना। देश की विमानन महत्वाकांक्षाएँ कमज़ोर नींव पर नहीं टिक सकतीं। इंडिगो की यह घटना एक चेतावनी की तरह है: भारत को केवल क्षमता नहीं, बल्कि मजबूती भी बनानी होगी।

'कांग्रेस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केवल पहले दो अन्तरे ही गाए जाएं।"

इसके साथ ही, कांग्रेस ने यह भी स्वीकार किया था कि कोई भी व्यक्ति "किसी अन्य गीत को... 'वन्दे मातरम्' गीत के अतिरिक्त या इसके स्थान पर गाने के लिये स्वतंत्र है।"

लेकिन अब भाजपा का कहना है कि ये कुछ अन्तरे हटाना कांग्रेस की 'विभाजनकारी' योजनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन का जिक्र करते हुये कहा कि इन अन्तरों को हटाने से "देश के विभाजन के बीज बोए गए।" उन्होंने नवम्बर में कहा था, "1937 में, 'वन्दे मातरम्' का एक हिस्सा काट दिया गया था... इसे अलग कर दिया गया था। इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए। आज की पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि क्यों।"

पिछले महीने भाजपा प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने इस विवाद की शुरुआत करते हुये, नेहरू द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सितंबर और अक्टूबर 1937 में लिखे गए पत्रों का "एक्स" पर पोस्ट किया था।

केशवन ने अपनी पोस्ट में लिखा, "नेहरू कट्टरता से लिखते हैं कि जो भी 'वन्दे मातरम्' के शब्दों को देवी से संबंधित समझे, वह बेतुका है," हालांकि सितंबर के पत्र में इस संदर्भ में नेहरू ने यह कहा था कि गीत के शब्दों का देवी से कोई संबंध समझना बेतुका है, न कि ऐसा समझने वाला व्यक्ति।

'इंडिगो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्लॉट आवंटन और इसके व्यापक निजीकरण रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए के भीतर से यह अप्रत्याशित विद्रोह और भी जटिल हो गया है, क्योंकि सहयोगी जरूरी जवाबदेही और जनता के लिए तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं।

एयरलाइन संचालन में समस्याएं जारी हैं, राजनीतिक परिणाम और भी गहरे हो रहे हैं। इस वर्तमान संकट में, सरकार पर दबाव विपक्ष से नहीं, बल्कि इसके अपने सहयोगियों से आ रहा है, जिससे विमानन संकट पूर्ण राजनीतिक सिरदर्द में बदल गया है।

सुनील शर्मा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1994 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए थे, बाद में पदोन्नत होकर आईएएस बने थे। उन्हें 2013 का आईएएस बैच आवंटित किया गया था। राज्य सरकार ने उन्हें जनवरी 2024 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया था।

बताया जा रहा है कि नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सोमवार दोपहर में बैठक हुई थी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल शामिल हुए। तीनों की कमेटी ने सुनील शर्मा के नाम की सिफारिश राज्यपाल से की। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए।

- **वे पूर्व आईएएस अधिकारी हैं तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टीकाराम जूली व जोगाराम पटेल ने उनके नाम का चयन किया।**

वन रक्षक भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परीक्षा पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद से फरार चल रहा था। वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद बांसवाड़ा जिले के राजतलाब थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान एसओजी इसकी जांच कर रही है। आरोपी जबराराम बालोतरा जिले के कालवा गांव का निवासी है और वह बाड़मेर जिले के रामजी का गोल गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर तैनात है। उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908